

mmf. 17/1

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 16-04-2025

क्रमांक F-1/6/10/0001/2025-Sec-1-10(FOR) : श्री योगेन्द्र सिंह बिलवाल वनक्षेत्रपाल द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड (क) अनुसार प्रारूप-28 में दिनांक 20.11.2024 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 31.12.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई, जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अनुशंसा की गई।

अतः राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के प्रवधानों के तहत श्री योगेन्द्र सिंह बिलवाल वनक्षेत्रपाल को दिनांक 31.12.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त करता है।

स्था.3

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

Digitally signed by

Atul Kumar Mishra

Date: 16-04-2025

13:24:57

SECRETARY

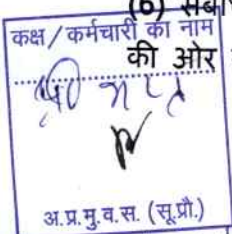
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ० क्रमांक: F-1/6/10/0001/2025-Sec-1-10(FOR) भोपाल दिनांक SECRETARY

प्रतिलिपि:-

- (1) अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
- (2) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- (3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख भ० प्र०, भोपाल।
- (4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II), भोपाल।
- (5) संबंधित मुवसं/वनमण्डलाधिकारीद्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) भोपाल।
- (6) संबंधित द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म०प्र० भोपाल.
पृ०क्रमांक/प्रशा-११/स्था-३/व.क्षे.कक्ष/२०४० भोपाल, दिनांक १७/०४/२०२५

प्रतिलिपि:

१. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म.प्र.।
२. मुख्य वन संरक्षक, इंदौर।
३. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल अलीराजपुर।
४. श्री योगेन्द्र सिंह बिलवाल, वनक्षेत्रपाल द्वारा संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी।
के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि श्री योगेन्द्र सिंह बिलवाल, वनक्षेत्रपाल को प्रति तामिल कराना सुनिश्चित करें।

(कमलिका मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-११)
मध्यप्रदेश भोपाल